कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर ज़ोन, इंदौर (म.प्र.)

वर्तमान में औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में सुरक्षा की बढती आवश्यकता ने निजी सुरक्षा एजेंसीज का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत कर दिया है । इन एजेंसीज पर नियंत्रण के उद्‌देश्य से केंद्र शासन द्वारा उक्त अधिनियम दिनांक 15 मार्च 2006 से पूरे देश में लागू किया गया है ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्राईवेट सुरक्षा एजेंसीज के पंजीकरण और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये गृह विभाग म.प्र. शासन की अधिसूचना क्र. एफ 4–1/ सी–1/ 2007 भोपाल दि. 24.03.07 के माध्यम से ज़ोनल पुलिस महानिरीक्षक को नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।

उक्त अधिनियम और आदर्श नियमों के अनुसार एजेंसीज के लिये अपेक्षित कार्यवाही (गाइडलाइन्स) निम्नलिखित है–

- यह सुनिश्चत करें कि इस एक्ट के अंतर्गत जारी लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था निजी सुरक्षा का कार्य नहीं करे (धारा 4)
- निजी सुरक्षा एजेंसीज के गार्ड्स और सुपरवाईजर पुलिस या सेना के किसी भी अंग से मिलती जुलती वर्दी का प्रयोग कदापि ना करे ।
- किसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा कौन सा गार्ड कहाँ तैनात किया गया है उसकी सूची क्षेत्राधिकार के थाने में उपलब्ध करावे । साथ ही रिजर्व बल की जानकारी भी दे ।
- इस एक्ट के संबंध में कार्यवाही सुचारू रूप से हो इसकी मॉनीटरिंग के लिये हर जिले में एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल ऑफीसर नियुक्त किया गया है ।
- सभी एजेंसीज में निर्धारित रजिस्टर का संधारण हो । आवश्यक टेलीफोन नंबर्स की सूची, लाईसेंस, प्रोपराईटर की जानकारी सहज दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर आवश्यक रूप से लगायी जाये ।
- इस एक्ट के लागू होने के दिनांक (मार्च 2006) के एक वर्ष के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है ।(उपरोक्त अवधि पहले ही बीत चुकी है इसलिये यथाशीघ्र आवेदन दें)
- आवेदक के पूर्ववृत्त (Antecedents) के सत्यापन के लिये आवेदक को निर्धारित फॉर्म क्र. 1 में आवेदन नियंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में कार्यदिवसों में कार्यालय समय में प्रस्तुत करना होगा ।
- उपरोक्त आवेदन पत्र कहीं भी बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं है । यह इन्दौर पुलिस की वेबसाइट www.indorepolice.org पर निःशुल्क उपलब्ध है ।
- यदि आवेदन किसी कंपनी या फर्म या एसोसियेशन की ओर से है तो प्रत्येक प्रोपराईटर/मेजर शेयर होल्डर/ पार्टनर/ डायरेक्टर को एक आवेदन के साथ सभी के लिये अलग अलग फॉर्म क्र. 1 प्रस्तुत करना होगा ।
- एजेंसी जितने जिलों में कार्य करने की इच्छुक है आवेदन पत्र और फॉर्म की उतनी प्रतियों के अलावा एक अतिरिक्त प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
- यदि ऐसी कोई एजेंसी है जो देश के बाहर किसी को सुरक्षा प्रदान कर रही है तो उसे भी नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से केंद्र शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
- इस एक्ट के प्रावधान कांट्रैक्ट लेबर एक्ट के उपर होंगे इसलिये पूर्व में पंजीकृत एजेंसीज को भी इस एक्ट के तहत पुनः लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- एक बार जारी लाईसेंस 5 वर्ष तक के लिये वैध होगा । नवीनीकरण के लिये 5 वर्ष पूरे होने की तारीख से कम से कम 45 दिन पहले आवेदन देना होगा ।

- नियंत्रक प्राधिकारी स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एजेंसी के कार्यालय, दस्तावेज, अकांउट एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण किसी भी उपयुक्त समय पर कर सकेंगे ।
- अधि. की धारा 17 के अंतर्गत प्रत्येक गार्ड और सुपरवाईजर का एक फोटो पहचान पत्र होगा जिसे वे धारण करेंगे तथा नियंत्रक प्राधिकारी स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के मांगने पर प्रस्तुत करेंगे ।
- फॉर्म क्र 1 के सत्यापन की प्रकिया पूर्ण होने पर लाईसेंस प्राप्त करने के लिये निर्धारित फॉर्म क्र. 5 नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । इसके साथ ही फीस के लिये निर्धारित राशि चालान के माध्यम से कोषालय में जमा करना होगा । इसे " ***मांग संख्या 03, पुलिस 2055, पुलिस –राजस्व प्राप्तियॉ (103) से फीस*** " शीर्ष के अंतर्गत जमा कराया जायेगा ।
- लाईसेंस निर्धारित प्रारूप क्र. 6 में जारी किया जायेगा ।
- लाईसेंस जारी होने के **15 दिवस के भीतर** एजेंसी को एजेंसी बनाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, पत्र व्यवहार के पते, स्थयी पता, फोन नं., प्रमुख पेशा आदि की जानकारी नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।
- जब कभी भी इन पतों में परिवर्तन हो तो 7 दिन के भीतर एजेंसी को जानकारी नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।
- कोई भी संस्था ऐसा लाईसेंस प्राप्त करने की तिथि **से 6 माह के भीतर अपने कार्य आरंभ** कर देगी ।
- लाईसेंस जारी होने के **60 दिवस के भीतर** प्रत्येक संस्था को निर्धारित संख्या में **सुपरवाईजर्स की नियुक्ति** करनी होगी । सुपरवाईजर पद के लिये भी वही अर्हताये होंगी जो गार्ड के लिये हैं (अधि. की धारा 10 में वर्णित)
- किसी भी व्यक्ति को गार्ड या सुपरवाईजर के तौर पर नियुक्ति देने से पहले उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करना उस एजेंसी की जिम्मेदारी है । उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जानकारी को एजेंसी पुलिस के माध्यम से भी सत्यापित करवा सकती है ।
- ऐसे किसी सत्यापन का आवेदन प्राप्त होने पर थाने की कार्यवाही– दिये गये पते पर जाकर पूछताछ, और पुलिस अभिलेखों से मिलान करके पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देना । रिपोर्ट में उसके कार्य, आजीविका का वर्तमान साधन, रहन–सहन का स्तर, उसपर दर्ज अपराध, आम शोहरत, स्थायी पता, करीबी रिश्तेदार की जानकारी दी जायेगी ।
- यदि एजेंसी द्वारा गार्ड या सुपरवाईजर का चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस से करवाया जाता है तो वह पूर्णतः गोपनीय होगा और रिपोर्ट नामजद लिफाफे में एजेंसी प्रमुख को दी जायेगी ।
- एक बार जारी चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन की रिपोर्ट 3 वर्ष के लिये वैध रहेगी ।
- अपने गार्ड्स और सुपरवाईजर्स को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रत्येक संस्था को अनिवार्य रूप से करनी होगी । **प्रशिक्षण** क्या होगा यह **आदर्श नियम 5** में लेख है ·
- गार्ड या सुपरवाईजर को भर्ती करने से पहले उसे प्रशिक्षित करना होगा और प्रशिक्षण में सफल रहे उम्मीदवारों की सूची नियंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ।
- **फीस** (नियंत्रण प्राधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के माध्यम से देय)–
    - एक जिले में कार्यरत संस्था के लिये 5000/– रू. (पॉच हजार रू.)मात्र
    - एक से अधिक किंतु पॉच तक (upto five) जिलों में कार्यरत संस्था के लिये 10000/– रू. (दस हजार रू.)
    - पूरे राज्य में कार्यरत संस्था के लिये 25000/– रू. (पच्चीस हजार रू.)मात्र
    - उक्त फीस वापसी के योग्य नहीं है ।
- **शास्ति/ दंड– धारा 20–**

- धारा 4 के उल्लंघन पर 1 वर्ष तक की सजा या 25,000/— रू. तक का जुर्माना या दोनों । (बिना लाईसेंस कार्य करने पर)
- धारा 9, 10, 12 के उल्लंघन पर 25,000/— रू. तक का जुर्माना और लाईसेंस का निलंबन या निरसन । (छह माह में कार्यारंभ ना करना, उपयुक्त प्रशिक्षण ना देना, ग़लत व्यक्ति को गार्ड या सुपरवाईजर भर्ती करना, लाईसेंस को डिस्प्ले ना करना)

- **शास्ति/ दंड– धारा 21**– सेना या पुलिस के गणवेश के अनाधिकृत उपयोग पर गार्ड, सुपरवाईजर और एजेंसी के प्रोपराईटर को 1 वर्ष तक की सजा या 5,000/— रू. तक का जुर्माना या दोनों की शास्ति दी जा सकती है ।
- **अधि. की धारा 5**– इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या संस्था को लाइसेंस जारी करने के पूर्व उसका चरित्र सत्यापन किया जायेगा ।
- **अधि. की धारा 6 (1)**– लाईसेंस के लिये निम्नलिखित व्यक्ति अपात्र होंगे–
    - किसी कंपनी के गठन या प्रबंधन में धोखाधड़ी से संबंधित मामले में दोषसिद्ध हो ।
    - ऐसे किसी अपराध में दोषसिद्ध जिसमें कम से कम दो वर्ष या अधिक की सजा हुई हो ।
    - प्रतिबंधित संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा या लोकशांति के लिये खतरा बने संगठन का सदस्य हो ।
    - उसे शासकीय सेवा से दुर्व्यवहार या नैतिक पतन के आरोप पर बर्खास्त किया गया हो ।
- **धारा 6 (2)**– यदि कंपनी, भारत में पंजीबद्ध नहीं है या उसका प्रोपराईटर या मेजर शेयर होल्डर भारत का नागरिक नहीं है तो उसे उस एक्ट के अंतर्गत लाईसेंस जारी नहीं किया जायेगा ।
- **धारा 10– गार्ड के लिये अर्हतायें**–
    - उसे भारत का नागरिक होना चाहिये (या केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित किसी देश का नागरिक)
    - उसे 18 वर्ष से अधिक किंतु 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिये ।
    - **संस्था** उसके चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त से **संतुष्ट हो** ।
    - सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।
    - निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करता हो ।
    - न्यायालय से दोषसिद्ध या शासकीय सेवा या किसी निजी सुरक्षा एजेंसी से दुर्व्यवहार या नैतिक पतन के आरोप पर बर्खास्त ना हुआ हो ।
    - संस्था प्राथमिकता देगी– भूतपूर्व सैनिको, पुलिसमैन और होमगार्ड्स को ।
- **धारा 13**– किन आधारों पर **लाइसेंस कैंसल** किया जा सकेगा । कैंसल करने से पहले 30 दिन का समय देकर कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा ।
- **धारा 14– अपील**– नियंत्रक अधिकारी के किसी भील आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 60 दिवस के अंदर अपील राज्य याासन के गृह सचिव को की जा सकेगी ।
- **धारा 15**– निजी सुरक्षा एजेंसी को एक **रजिस्टर** रखना होगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी–
    - निजी सुरक्षा एजेंसी के मैनेजमेंट में सहभागियों के नाम पते ।
    - निजी सुरक्षा एजेंसी से संबद्ध गार्ड्स और सुपरवाईजर्स के नाम, पते, फोटो, वेतन की जानकारी
    - निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा जिनको सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी है उनके नाम पते
    - अन्य जानकारी जो निर्धारित की जाये ।

- **धारा 16–निरीक्षण** – नियंत्रक प्राधिकारी स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एजेंसी के कार्यालय, दस्जावेज, अकांउट एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण किसी भी उपयुक्त समय पर कर सकते हैं ।
- **धारा 18**– अपने कर्तव्य के दौरान प्राप्त जानकारी को कोई भी गार्ड या सुपरवाईजर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं करायेंगे । इस एक्ट के अतंर्गत आवश्यक होने पर या किसी जॉच या विवेचना के दौरान मांगे जाने पर ही देंगे ।
- यदि कोई गार्ड अपने कार्य के दौरान कोई अवैधानिक गतिविधि होते देखता है तो वह उसे अपने सुपरवाईजर को बतायेगा जो अपने नियोक्ता या एजेंसी के माध्यम से अथवा स्वयं यह जानकारी पुलिस को देगा ।

इति